HAMIRPUR POLICE

METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

"प्रभावी पैरवी कर हत्या का प्रयास करने वाले अभियुक्त व एक किशोर अपचारी को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 22,000/- रुपये के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।"



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे **ऑपरेशन कन्विक्शन** अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना **सुमेरपुर** में पंजीकृत **मु0अ0सं0- 143/2017 धारा- 307/34,506 भा0द0सं0 में** सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में माननीय न्यायालय **विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट** जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त **1.वेदप्रकाश तिवारी पुत्र बाबू तिवारी 2.(एक किशोर अपचारी)** निवासी पचखुरा बुजुर्ग थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुये **10 वर्ष का कठोर कारावास व** प्रत्येक को **11,000/-** रुपए के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।

	एडीजीसी रुद्र प्रताप सिंह		विवेचक- निरी0 देवेन्द्र सिंह		**पैरोकार** **थाना- सुमेरपुर** **का0 शुभम यादव**